



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-09.12.2025

विषय:- “ऑपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना सारनाथ में पंजीकृत एसिड अटैक के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास व 10,000/- रु0 का अर्थदण्ड ।

थाना सारनाथ, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0- 0199/2012 धारा 326 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्त गोविन्द राजभर पुत्र नारायण राजभर निवासी हिरामनपुर थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी को थानाध्यक्ष सारनाथ व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक- 08.12.2025 को माननीय न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0) जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त गोविन्द राजभर उपरोक्त को मु0अ0सं0- 0199/2012 अन्तर्गत धारा 326 भा0द0वि0 के अंतर्गत अपराध में 03 वर्ष का कारावास तथा 10,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 02 माह का अतिरिक्त कारावास भोगेगा ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।